संख्या-16 /2021/ 138 /क.नि.प्र. /26-3-2021-20(65)/2020

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांक: 25 मार्च,2021
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट, जखौरा एवं विरघा के कुल 10 गांवों को शासनादेश संख्या-16/2019/ 319/ क.नि.प्र./26-3- 2019-19(20)/2019 दिनांक 08-03-2019 एवं शासनादेश संख्या-45/2019/1054/ क.नि.प्र./26-3-2019-19(20)/2019 दिनांक 13-12-2019 द्वारा कुल रू0 320.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। अब अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 50.00 लाख (रू पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपदललितपुर-					
विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि**	**आवंटित की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5	6
ताल बेहट	खादी	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.96	32.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	2	3	4	5	6
जखौरा	लागौन	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.63	32.00	5.00
	मैनवारा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.87	32.00	5.00
	कारी पहाड़ी	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.46	32.00	5.00
बिरघा	बाला बेहट	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.13	32.00	5.00
	सिमरा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	88.19	32.00	5.00
	ककौरिया	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.53	32.00	5.00
	टेनगा	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.60	32.00	5.00
	निवउआ	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	99.15	32.00	5.00
	बछलापुर	सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	98.93	32.00	5.00
		योग -	981.45	320.00	50.00

(रू. पचास लाख मात्र)

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध:-</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि. (यू.पी.सी.एल. डी. एफ.) लखनऊ से कराया जायेगा।
2. निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि.(यू.पी.सी.एल. डी. एफ.) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3. प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

12. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-12/2020/बी-1-706/दस-2020-231/2020 दिनांक 09-12-2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

<u>पृ.संख्या-16 /2021/ 138/(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- जिलाधिकारी,ललितपुर।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी ललितपुर।
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), ललितपुर।

8- प्रबन्ध निदेश्क, उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.), लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 / बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।